न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–39 / 2017–18

मुन्नी कुमारी बनाम कमला देवी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10/5/18	**आदेश** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका के द्वारा फुलवारीशरीफ अंचल अन्तर्गत मौजा–साईचक, थाना नं0 32, खाता नं0 07, खेसरा नं0 533 रकवा 1 कट्ठा 3 धूर की खरीद मोरमात तिलकुरी देवी से दिनांक 11.06.2002 को की गयी। खरीदगी के पश्चात आवेदिका के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{4815}{4}$ वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत दाखिल खारिज की स्वीकृति देकर जमाबंदी सं0 3155 कायम की गयी। विपक्षी के द्वारा श्री उमेश प्रसाद से दिनांक 21.04.2008 के फर्जी दस्तावेज से प्रश्नगत खाता खेसरा का 1100 वर्गफीट का क्रय किया गया। उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा आवेदिका की जमाबंदी सं0 3155 को रद्द किये बिना विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 2573 कायम कर दी गयी, जिसे रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है। सुनवाई में यह स्पष्ट हुआ कि यह वाद अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा विपक्षी के नाम से किये गये दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। नियमानुसार दाखिल खारिज में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदिका को बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के अन्तर्गत संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील दायर की जानी चाहिए थी। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदिका को सलाह दी जाती है कि वह अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा विपक्षी कमला देवी के पक्ष में किये गये दाखिल खारिज के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर कर सकती है। लेखापित एवं संशोधित। 10/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 10/5/18 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	